


झारखण्ड सरकार
खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
(माप एवं तौल)


कार्यालय आदेश सं० २२/१७
राँची,दिनांक १७/७/१७

Department of Industries, Promotion and Policy, भारत सरकार
के अनुशंसा सं० १७९ के अनुपालन में गत दो वर्षों का निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय
अभिलेख में उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यालय अभिलेख में गत दो वर्षों का उपलब्ध
सत्यापन प्रमाण पत्र को माप तौल प्रभाग के वेबसाइट पर online submit/Upload किया
जा रहा है ताकि कोई भी उपयोगकर्ता अपने सत्यापन प्रमाण पत्र को online देख सके
अथवा Download कर सके।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची


ज्ञापांक ३३३ राँची, दिनांक १७/७/१७

प्रतिलिपि:—संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राँची / उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,
हजारीबाग एवं दुमका / सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान (सभी)
/ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची


ज्ञापांक ३३३ राँची, दिनांक १७/७/१७

प्रतिलिपि:—निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक ३३३ राँची, दिनांक १७/७/१७

प्रतिलिपि:—सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
झारखण्ड, राँची